5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(30)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

नि.ग 2619-PBR-16

1— मूलचंद पिता गंगाराम जाति गारी उम्र 45 वर्ष

2— रमेश पिता दरियाव उम्र 40 वर्ष

दोनो का धंधा खेती निवासी ग्राम मांगरोल तह0 व जिला धार

.................निगरानीकर्तागण

बनाम

1— राधाबाई पति विक्रम सिंह जाति राजपूत

धंधा खेती निवासी ग्राम मांगरोल तह0 व जिला धार

.....................विपक्षीगण

2— म0प्र0 शासन

निगरानी धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

तहसीलदार धार प्र.क्र. 94/बी-121/15-16 आदे. 01.08.16

'मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम मांगरोल तहसील व जिला धार की भूमि सर्वे नंबर 110/1/क/4 रकबा 1.265 हैक्टर होकर उक्त भूमि के हम खरीददार है हमारे हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है जो विधिक रूप से राधाबाई के मुख्त्यार ने निष्पादित किया था तत्पश्चात तहसीलदार महोदय धार द्वारा उक्त भूमि के संबंध में राजस्व प्रकरण क्रमांक 94/अ–6/2012–13 में आज्ञा दिनांक 25.03.2014 द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर मेरे नामांतरण बाबद हुकुम किया था व तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश अपास्त किया जाकर जिसकी अपील माननीय अपर आयुक्त महोदय के समक्ष प्रकरण क्रमांक 269/अपील/2014–15 पर लंबित है। ऐसी दशा में जो अनुविभागीय अधिकारी का आदेश है वह भी अंतिमता लिये हुए नही है अंडर चेलेंज है। वरिष्ठ न्यायालय में लंबित है तो ऐसी दशा में उक्त आदेश अंतिम न होते हुए कोई फेरबदल करने का हक अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को होता नही है। फिर भी नायब तहसीलदार वृत्त सांगौर तहसील व जिला धार द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 0/बी–121/2015–16 (राधाबाई बनाम शासन) में बिना हमे सूचना दिये प्रकरण कायम कर दिनांक 01.08.2016 को जो प्रतिवेदन पटवारी से बुलवाया है व दिनांक 25.07.2016 को उक्त प्रकरण दर्ज किया है वह करने का उन्हे अधिकार नही है न की जा सकती है। उक्त दर्ज किये जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अर्ज निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2619-पीबीआर/16 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	